झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0—1224 वर्ष 2017

1. शीला देवी, पत्नी—स्वर्गीय बिदेशी करमाली

2. अविनाश कुमार, पे0 स्वर्गीय बिदेशी करमाली

दोनों निवासी—आरा कॉलोनी, थाना—कुरूबेरा कोंलियरी, थाना—मांडू, जिला—रामगढ़ (झारखंड) .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने मुख्य प्रबंध निदेशक, दरभंगा हाउस, डाकघर—जी0पी0ओ0, थाना—कोतवाली, जिला—रांची के माध्यम से।

2. निदेशक (कार्मिक), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, डाकघर—जी0पी0ओ0, थाना—कोतवाली, जिला—रांची।

3. महाप्रबंधक (पी0 एंड आई0आर0), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, डाकघर—जी0पी0ओ0, थाना—कोतवाली, जिला—रांची।

4. महाप्रबंधक, कुजू एरिया, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर—कुजू, थाना—मांडू, जिला—रामगढ़।

5. परियोजना अधिकारी, आरा कोलियरी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, नई दिल्ली आरा, डाकघर—सारूबेरा, थाना—मांडू, जिला—रामगढ़।

6. वरिष्ठ अधिकारी (कार्मिक), आरा कोलियरी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, नई दिल्ली आरा, डाकघर—सारूबेरा, थाना—मांडू, जिला—रामगढ़।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर</u>**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री ओम प्रकाश प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री डी0के0 चक्रवर्ती, अधिवक्ता

07 / 27.03.2018 रिट याचिका में प्रार्थना याचिकाकर्ता संख्या–2 को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के खंड 9.3.2 के तहत रोजगार देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए है।

2. प्रतिवाद शपथपत्र में, प्रत्यर्थी मेसर्स सी0सी0एल0 ने याचिकाकर्ता सं0 2 के दावे पर विवाद किया है, इसने दस्तावेज पेश किए हैं जो याचिकाकर्ता सं0 2 के एक अलग अभिभावक को इंगित करते हैं और उसकी जन्मतिथि भी पी0एस0 फॉर्म में दर्ज की गई तारीख से अलग है।

3. प्रतिवादी–मेसर्स सी0सी0एल0 के विद्वान वकील श्री डी0के0 चक्रवर्ती ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के दावे की सत्यता की पुष्टि करने के लिए एक समिति का गठन दिनांक 12.03.2018 को किया गया है और याचिकाकर्ता संख्या 2 के माता–पिता की सत्यापित करने के लिए 14 मार्च, 2018 को रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा गया है।

4. वर्तमान कार्यवाही में उठाए गए तथ्यात्मक विवाद को ध्यान में रखते हुए, याची सं0 2 को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी मेसर्स सी0सी0एल0 को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, और रिट याचिका का निपटारा, निदेशक (कार्मिक), सेंट्रल कोलफील्ड्स

लिमिटेड और प्रतिवादी सं0 2 को यह सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ किया जाता है कि याची सं0 2 के दावे पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)